राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 276/2025

लेखराज मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त सचिव–ा सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अधीक्षक अधिकारी, जिला परिषद, अलवर।
4. विकास अधिकारी, पंचायती समिति, थानागाजी, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.01.2025
आदेश की दिनांक : 29.01.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोढवाल, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार कि प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 09.01.2025 को एक आदेश जारी किया, जिसके अनुसार अपीलार्थी जो पंचायत समिति थानागाजी जिला अलवर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत है, को पंचायत समिति थानागाजी से पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर में स्थानांतरित किया गया है, उसके स्थान पर किसी का स्थानांतरण नहीं किया गया है, अर्थात पंचायत समिति थानागाजी में पद रिक्त है। अपीलार्थी को स्थानांतरित करने के लिए कोई प्रशासनिक आवश्यकता नहीं है, उक्त आदेश दिनांक 09.01.2025 में अपीलार्थी का नाम क्रमांक 2 पर अंकित है। (अनुलग्नक–1) प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण बिना समुचित आवेदन के किया गया है, क्योंकि अपीलार्थी कम वेतन वाला कर्मचारी है तथा वर्तमान पदस्थापन स्थान पर नियुक्त है। नरेश कोहली बनाम राजस्थान राज्य के मामले में यह माना गया है कि यदि

स्थानांतरण आदेश बिना सोचे–समझे और जल्दबाजी में पारित किया जाता है, तो वह निष्पादन योग्य नहीं होता है और उसी के अनुसार स्थानांतरण आदेश पारित किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 89(8) तथा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 289 का घोर उल्लंघन करते हुए जारी किया गया है। अपीलार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद धारण कर रहा है, जो राजस्थान पंचायत समिति जिला परिषद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियम 1959 के अंतर्गत संवर्गित है। अपीलार्थी का स्थानांतरण भी अधिनियम 1994 की धारा 89 का उल्लंघन करके किया गया है। यही कानून माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मोहन लाल गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य के मामले में निर्धारित किया गया है, लेकिन वर्तमान मामले में मामले के इस पहलू पर विचार नहीं किया गया है। अपीलार्थी के स्थानांतरण का यह आदेश केवल सत्ताधारी पार्टी के स्थानीय नेता को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए जारी किया गया है, क्योंकि थानागाजी में पद रिक्त होने के बावजूद अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। न्ययाधिकरण जय प्रकाश कासवा बनाम राजस्थान राज्य (अपील संख्या 885/2020) के मामले में इसी तरह के विवाद से निपटा और प्रत्यर्थी विभाग को ऑटोटी जारी करते समय के संचालन पर रोक लगा दी। (अनुलग्नक–2)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 09.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान पंचायत समिति थानागाजी, जिला अलवर में सभी परिणामी लाभों के साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर निरंतर कार्यरत रखा जावें।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है। अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order)

प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य